रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082025-265730
CG-DL-E-27082025-265730

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3760] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2025/भाद्र 3, 1947
No. 3760] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2025/BHADRA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2025

का.आ. 3865(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68), (जिसे इसके पश्चात "उक्त अधिनियम" कहा जाए), की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3587 (अ), दिनांक 30.11.2016 द्वारा राजमार्ग संख्या 72ए के छुटमलपुर से गणेशपुर खंड के कि.मी. 0+0000 से कि.मी. 16+000 तक के खंड और भगवानपुर के पास रुड़की से उत्तराखंड/यूपी सीमा (उत्तराखंड राज्य में)कि.मी. 00+000 से 22+000 तक का खंड और भगवानपुर के पास उत्तराखंड/यूपी सीमा से यूपी/हरियाणा खंड (यूपी राज्य में) एनएच-73 के किमी 22+000 से 70.89 तक और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में एनएच-73 के किमी 70.89 से 71.64 तक यूपी/हरियाणा खंड (हरियाणा राज्य में) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 15 सितंबर, 2020 को प्रकाशित विद्यमान शुल्क अधिसूचना का.आ. 3131 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, केंद्रीय सरकार एतदद्वारा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच 344 (पुराना एनएच 73) के डिजाइन किमी 0+000 से किमी 41+820 (मौजूदा किमी 51+340 से किमी 27+193 तक) और एनएच 307 (पुराना एनएच 72ए) के किमी 0+000 से 17+900 तक और एनएच-344 (पुराना एनएच-73) के रुड़की-छुटमलपुर-गागलहेड़ी खंड के किमी 0.000 (एनएच-58 के किमी 167.800) से एनएच 344 (पुराना एनएच 73) के किमी 27.193 तक के लिए सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर खंड तक चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए, नीचे दी गई तालिका (1) के स्तंभ (1) में

विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 30.539 कि.मी. की निवल सड़क खंड लंबाई तथा 25.35 कि.मी. (2.535 किलोमीटर की लंबाई वाली) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) के लिए यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और 10 करोड़ रू या उससे अधिक की लागत वाले 35.939 कि.मी. लंबाई वाले बाईपास के लिए आधार दर के डेढ़ गुना पर शुल्क उद्गृहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात:-

सारणी 2

शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में भगवानपुर गांव के पास एनएच-73 के किमी 15.945 पर।	**15.905** [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक) और (>60 मीटर) संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सैय्यद मजेरा गाँव में सैय्यद मजेरा टोल प्लाज़ा विद्यमान चेनेज-32+435 (डिज़ाइन चेनेज-18+900) पर	**14.634** [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक) और (>60 मीटर) संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाज़ा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:

सारणी-3

शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में	एनएच-73 का रुड़की बाईपास	डिजाइन किमी 0.00	डिजाइन किमी 11.288	**10.848**	**152.340**	चार या अधिक लेन के

भगवानपुर गांव के पास एनएच-73 के किमी 15.945 पर।						लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सैय्यद मजेरा गाँव में सैय्यद मजेरा टोल प्लाज़ा विद्यमान चेनेज-32+435 (डिज़ाइन चेनेज-18+900) पर	एनएच 73 का सहारनपुर बाईपास	डिज़ाइन किमी 0+000 विद्यमान कि.मी. 51+340	डिज़ाइन किमी 15+057 विद्यमानकि.मी. 36+288	14.172	396.46	
	एनएच -73, 72 ए छुटमलपुर बाईपास	डिज़ाइन किमी 20+441 विद्यमान कि.मी. 30+894 (एनएच-73)	डिज़ाइन किमी 30+333 विद्यमानकि.मी. (72ए का 6+213)	9.782	272.052	
	एनएच -72 ए नया क्रमांक 307 का बिहारीगढ़ पुनर्संरेखण भाग	डिज़ाइन किमी 34+788 विद्यमान कि.मी. (72ए का 10+540)	डिज़ाइन किमी 35+925 विद्यमानकि.मी. (72ए का 12+000)	1.137	83.08	
			कुल लंबाई	**35.939**	**903.932**	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी-4			
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	**सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लंबाई (कि.मी. में)**	**समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)**	**दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है**
उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में भगवानपुर गांव के पास एनएच-73 के किमी 15.945 पर।	0.440^	4.400	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सैय्यद मजेरा गाँव में सैय्यद मजेरा टोल प्लाज़ा विद्यमान चेनेज-32+435 (डिज़ाइन चेनेज-18+900) पर	2.095^^	20.95	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^भगवानपुर गांव के निकट एनएच-73 के किमी 15.945 पर शुल्क प्लाजा के लिए संरचना (> 60 मीटर) का विवरण निम्नानुसार है: -

क्र सं.	**चेनेज**		**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (कि.मी. में)**
	कि.मी. से	**कि.मी. तक**		
1	0.794	0.914	बड़ा पुल	0.120
2	2.538	2.658	बड़ा पुल	0.120
3	6.390	6.590	आरओबी	0.200

कुल	**0.440**

^^ सैय्यद मजेरा टोल पर विद्यमान चेनेज-32+435, डिजाइन चेनेज-18+900 गांव में शुल्क प्लाजा के लिए संरचना (>60 मीटर) का विवरण निम्नानुसार है: -

क्र सं.	**चेनेज**		**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (कि.मी. में)**
	कि.मी. से	**कि.मी. तक**		
1	1.575	2.115	आरओबी	0.54
2	6.569	6.770	आरओबी	0.201
3	9.477	9.549	फ़्लाईओवार	0.074
4	14.845	14.915	वीयूपी	0.07
5	24.056	24.164	फ़्लाईओवार	0.110
6	34.668	34.788	एमजेबी	0.120
7	35.925	36.905	एलीवेटेड	0.980
कुल				**2.095**

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाज़ा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350.000/-रूपए (तीन सौ पचास रूपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 3439.32 करोड़ रुपए है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कामों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा.सं. यूके डीआईवी-20015/4/2025-पीआईयू रुड़की/ई-251723]

विनय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2025

S.O. 3865(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3587 (E) dated 30.11.2016, the Central Government has entrusted the stretch from Km. 0+0000 to Km. 16+000 Chutmalpur to Ganeshpur section of the National Highway No. 72A and Roorkee to Uttrakhand/UP border near Bhagwanpur (In the state of Uttrakhand) section from Km. 00+000 to 22+000 & Uttrakhand/UP border near Bhagwanpur to UP/Haryana Section (In the state of UP) from Km. 22+000 to 70.89 of NH-73 and UP/Haryana Section (In the state of Haryana) from Km. 70.89 to 71.64 of NH-73 in the State of Uttar Pradesh & Uttrakhand to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority").

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules") and in supersession of existing fee notification published vide S.O.3131 (E) dated 15th, September, 2020, the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 30.539 Km. and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 25.35 Km. (having length of 2.535 Km.) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 35.939 Km. costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, for use of four or more lane of Saharanpur bypass to Ganeshpur Section from design Km. 0+000 to Km. 41+820 (existing km 51+340 to km 27+193 of NH 344(old NH 73) & Km. 0+000 to 17+900 NH 307(old NH 72A) & Roorkee-Chutmalpur-Gagalheri section of NH-344 (Old NH-73) from Km. 0.000 (Km.167.800 of NH-58) to Km. 27.193 of NH 344(old NH 73)in the State of Uttarakhand & Uttar Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely: -

Table-I	
Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
1	2
Car Jee Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck Two Axles	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles	3.45
Oversized Vehicles seven or more axles	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza chainage	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Km 15.945 of NH-73 near Bhagwanpur village in Haridwar district of Uttarakhand State.	**15.905** [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr) and length of structures (>60m)]	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-I above
At Sayyed Mazera Toll Existing Chainage/ Km 32+435 (Design Chainage/Km. 18+900) Village- Sayyed Mazera in Distt. Saharanpur of Uttar Pradesh	14.634 [Excluding length of Bypass (costing > 10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-I above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s): -

			Table-3			
Location of Fee Plaza (chainage)	**Name of the Bypass**	**Taking Off**	**Merging at**	**Length and Cost of bypass for which additional fee is payable**		**Rate at which fee is payable**
				Length (in Km.)	**Cost (in Crore)**	
At Km 15.945 of NH-73 near Bhagwanpur village in Haridwar district of Uttarakhand State.	Roorkee Bypass of NH-73	Design Km. 0.00	Design Km. 11.288	10.848	152.340	150% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-I above
At Sayyed Mazera Toll Existing Chainage/ Km 32+435 (Design Chainage/Km. 18+900) Village- Sayyed Mazera in Distt. Saharanpur of Uttar Pradesh	Saharanpur Bypass of NH 73	Design km 0+000 Existing km 51+340	Design km 15+057 Existing km 36+288	14.172	396.46	
	Chhutmalpur Bypass of NH-73, 72A	Design km 20+441 Existing km 30+894 (NH-73)	Design km 30+333 Existing km 6+213 of 72A)	9.782	272.052	
	Biharigarh Realignment Portion of NH-72A New no 307	Design km 34+788 Existing km 10+540 of 72A)	Design km 35+925 Existing km 12+000 of 72A)	1.137	83.08	
Total				**35.939**	**903.932**	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-4			
Location of Fee Plaza (chainage)	**Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
At Km 15.945 of NH-73 near Bhagwanpur village in Haridwar district of Uttarakhand State.	0.440^	4.400	100% for four or more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above

At Sayyed Mazera Toll Existing Chainage/ Km 32+435 (Design Chainage/Km. 18+900) Village- Sayyed Mazera in Distt. Saharanpur of Uttar Pradesh	2.095^^	20.95	100% for four or more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details of Structure(>60m) for fee plaza At Km 15.945 of NH-73 near Bhagwanpur village are as under.: -

S. No	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	0.794	0.914	Major Bridge	0.120
2	2.538	2.658	Major Bridge	0.120
3	6.390	6.590	ROB	0.200
Total				**0.440**

^^ The details of Structure(>60m) for fee plaza At Sayyed Mazera Toll Existing Chainage-32+435, Design Chainage-18+900 village are as under: -

S. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	1.575	2.115	ROB	0.54
2	6.569	6.770	ROB	0.201
3	9.477	9.549	Flyover	0.074
4	14.845	14.915	VUP	0.07
5	24.056	24.164	Flyover	0.110
6	34.668	34.788	MJB	0.120
7	35.925	36.905	Elevated	0.980
Total				**2.095**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 350/- (Three Hundred Fifty Rupees only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule IA of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-I above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same 8-shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 3439.32 crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F.No. UK DIV-20015/4/2025-PIU Roorkee/E- 251723]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.27 11:57:54 +05'30'